V-190/CR.J.(€ SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898 RPI-211-6L-11-94 Class.....Complaint or report made on..... in the court of... Case No.... Name and address of the Complainant.,.... Name, parentage, caste and address of accused The offence complaint of its alleged commission. आपने दितांक 213-10 को समय 20-10 बजे स्थान श्री की किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 18-को अपने आधिपत्य में जो मार्गा अधिनयम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायाल संज्ञान में है। The plea of the accused and his examination (if any) अपराध स्वीकार है माफ किया जाये। The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(p) (lause(p)) (lause

(ति र्ण य)

(आज दिनांक 18-5-16) को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध घारा 34 कावृत्ति के आघार पर आरोपी/गण व स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आघार पर आरोपी/गण व अगराघ में सिद्धदं घारा 34 कावार धारा के अपराघ में सिद्धदं घारा जाता है। अतः उक्त अपराघ के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/ग ठहराया जाता है। अर्थ दण्ड से दिख्त किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा ना करने की द में दिवस का साधारण कारावास पृथक से मुगतना होगा।

4. प्रकरण में जब्तशुदा अधिकार किया जाता होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हरता० व दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मुजिस्ट्रेट प्रथम बागी गीहर जिला प्राप्य यम श्रेणी गीहद, जिला-भिण्ड गेरे निर्देश पर टाईप कि

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गोहद जिला भिण्ड शिवानी शामी न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड